-प्रेस नोट-   दिनांक 14.09.2020

थाना लालगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार

अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज पुलिस द्वारा दहेज हत्या का आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया, दिनांक 06.09.2020 को थाना लालगंज पर वादिनी रहिशा बेगम पत्नी स्व0 शकील अहमद निवासी माण्डा थाना माण्डा जनपद प्रयागराज द्वारा तहरीर दिया गया कि उनकी पुत्री तराना उम्र-22 वर्ष की शादी इरफान पुत्र शमशुद्दीन निवासी ग्राम रामपुर वासिद अली थाना लालगंज मीरजापुर से 02 साल पूर्व हुई थी, दिनांक 06.09.2020 की सुबह उनकी पुत्री तराना को उसके पति ससुर शमशुद्दीन पुत्र मोउद्दीन ,सास मेहरुनिशा, देवर फैजन द्वारा दहेज के लिए काफी समय से प्रताड़ना देते हुए मार दिया गया है, इस सूचना पर थाना लालगंज पर दहेज हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, उक्त अभियोग की विवेचना/ वाछिंत अभियुक्त की गिरफ्तारी के क्रम में बड़ी कार्यवाही करते हुए व0उ0नि0 रामेश्वर यादव थाना लालगंज मयहमराह का0 उपेन्द्र कुमार,का0 दिनेश कुमार द्वारा वाछिंत अभियुक्त मृतका का पति इरफान पुत्र शमशुद्दीन निवासी रामपुर वासिद अली थाना लालगंज मीरजापुर को आज दिनांक 14.09.2020 को समय 10.10 बजे ग्राम जगदीश पुर के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।